Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 208–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022 (AGRAHAYANA 8, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2022

संख्या 62/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

   (2) ये नियम 15 नवम्बर, 2022 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, प्ररूप जीएसटीआर–9 में, "अनुदेश" शीर्ष के अधीन, पैरा 7 में,–

   (अ) "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर–3ख में" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में 30 नवंबर 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

   (आ) सारणी में, द्वितीय खाने में, –

      (I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के प्ररुप जीएसटीआर–1" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के, 30 नवंबर, 2022 तक फ़ाइल किए गए प्ररुप जीएसटीआर–1" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

      (II) क्रम संख्या 12 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के मासों के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के मासों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

      (III) क्रम संख्या 13 के सामने, "अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के मासों के लिए" शब्दों, अक्षरों और अंको के स्थान पर "अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2022 के मासों के लिए, 30 नवंबर, 2022 तक" शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th November, 2022

No. 62/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 15th November, 2022.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, in FORM GSTR-9, under the heading Instructions, in paragraph 7, -

(A) for the figures, letters and words "between April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "of April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(B) in the Table, under second column, -

(I) against serial numbers 10 and 11, for the figures and words "April, 2022 to September, 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 filed upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(II) against serial number 12, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted;

(III) against serial number 13, for the figures and words "April 2022 to September 2022", the figures, letters and words "April, 2022 to October, 2022 upto 30th November, 2022" shall be substituted.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

10004—C.S.—H.G.P. Pkl.